रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2943] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 5, 2019/भाद्र 14, 1941
No. 2943] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 5, 2019/BHADRA 14, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2019

आय-कर

का.आ. 3215(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (23ग) के पहले परंतुक और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (VI) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छठा संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये 5 नवंबर, 2019 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, -

(i) 'नियम 2ग और नियम 2गक' के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : —

"धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (IV), उपखंड (V), उपखंड (VI) और उपखंड (VIक) के अधीन छूट के लिए अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजन के लिए आवेदन।

2ग. (1) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (IV), उपखंड (V), उपखंड (VI) और उपखंड (VIक) के अधीन विहित प्राधिकारी ऐसा प्रधान आयुक्त या आयुक्त होगा जिसे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इस निमित्त कार्य करने हेतु प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) किसी निधि या संस्था, किसी न्यास (जिसके अंतर्गत कोई अन्य विधिक दायित्व भी है) या संस्था, किसी विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्था और किसी अन्य चिकित्सालय या अन्य संस्था (जिसे इसमें इसके पश्चात् आवेदक कहा गया है) के लिए धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (IV), उपखंड (V), उपखंड (VI) और उपखंड (VIक) के अधीन छूट का अनुमोदन प्रदान करने कोई आवेदन प्ररूप सं. 56 में किया जाएगा और उसे ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो निर्धारिती को यथालागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी का सत्यापन करने के लिए प्राधिकृत है।

(3) प्ररूप 56,-

(i) अंकीय हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय की विवरणी का अंकीय हस्ताक्षर के अधीन दिया जाना अपेक्षित है ; या

(ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से, यदि खंड (I) के अंतर्गत नहीं आती है, इलैक्ट्रानिक रूप से दिया जाएगा।

(4) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) या आय-कर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा संरचना, मानक और प्ररूप 56 देने और उसके सत्यापन की प्रक्रिया अधिकथित करेगा और इस प्रकार दिए गए उक्त प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और सुधार संबंधी नीतियों को विरचित और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।"।

(ii) 'नियम 11कक' के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् : —

"धारा 80छ के अधीन किसी संस्था या निधि के अनुमोदन के लिए अपेक्षाएं।

11AA (1) धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन अनुमोदन के लिए संस्था या निधि (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'आवेदक' कहा गया है) से प्ररूप 10छ में आवेदन फाइल करने की अपेक्षा होगी जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा जो निर्धारिती को यथा लागू धारा 140 के अधीन आय की विवरणी को सत्यापित करने के लिए प्राधिकृत है।

(2) प्ररूप संख्या 10छ-

(i) अंकीय हस्ताक्षर के अधीन, यदि आय की विवरणी का अंकीय हस्ताक्षर के अधीन दिया जाना अपेक्षित है ; या

(ii) इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से, यदि खंड (I) के अंतर्गत नहीं आती है, इलैक्ट्रानिक रूप से दिया जाएगा।

(3) यथास्थिति, प्रधान आय-कर महा निदेशक (प्रणाली) या आय-कर महा निदेशक (प्रणाली) डाटा संरचना, मानक और प्ररूप 10छ देने और उसके सत्यापन की प्रक्रिया अधिकथित करेगा और इस प्रकार दिए गए उक्त प्ररूप के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और सुधार संबंधी नीतियों को विरचित और कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) प्रधान आयुक्त या आयुक्त आवेदक से ऐसे और दस्तावेज या सूचना की मांग सकेगा या ऐसी जांच करवा सकेगा जो वह आवेदक के क्रियाकलापों की विशुद्धता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझे।

(5) जहां प्रधान या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक द्वारा धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (i) से खंड (V) में अधिकथित सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं वहां वह लिखित में ऐसे समाधान को अभिलिखित करेगा और धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (VI) के अधीन अनुमोदन अनुदत्त करेगा।

(6) जहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (i) से खंड (V) में अधिकथित एक या अधिक शर्तों को पूरा नहीं किया गया है वहां वह लिखित में कारणों को अभिलिखित करेगा और आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् अनुमोदन के आवेदन को नामंजूर करेगा।

(7) धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन अनुमोदन अनुदत्त करने या आवेदन नामंजूर करने का आदेश, उस मास के अंत से, जिसमें ऐसा आवेदन प्राप्त हुआ था, छह मास की अवधि के भीतर पारित किया जाएगा।"।

3. मूल नियमों की परिशिष्ट 2 में,-

(i) 'प्ररूप 10छ'के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"**प्ररूप सं.** 10**छ**

(**नियम** 11**कक देखिए**)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन निधि या संस्था के अनुमोदन की मंजूरी के लिए आवेदन

क. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के ब्यौरे

स्थायी खाता संख्या										**निधि/ संस्था का नाम (आटो पापुलेटड)**
ए	बी	सी	डी	ई	1	2	3	4	ए फ	

फ्लैट / डोर / ब्लाक सं.	**परिसर/ भवन / गांव का नाम**	**सड़क / गली**	**डाकघर**

क्षेत्र / परिक्षेत्र	**शहर/नगर/जिला**	**पिन कोड**	**राज्य (चयन करें)**	**देश (चयन करें)**

कार्यालय की दूरभाष संख्या एसटीडी कोड सहित/ **मोबाइल नं.1**	**फैक्स नं. एसटीडी कोड सहित / मोबाइल नं.2**

ईमेल पता 1

ईमेल पता 2

ख. विधिक प्रास्थिति

कृपया विनिर्दिष्ट करें कि क्या निधि/ संस्था- (किसी एक का चयन करें)

- ○ ----------के अधीन लोक न्यास के रूप में गठित है (कृपया अधिनियम का नाम विनिर्दिष्ट करें जिसके अधीन लोक न्यास के रूप में गठित किया गया है)
- ○ सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त उस अधिनियम के तत्स्थानी किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है----------(कृपया विधि का नाम विनिर्दिष्ट करें, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है)
- ○ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है
- ○ विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय है
- ○ सरकार द्वारा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध कोई अन्य शैक्षिक संस्था है ।
- ○ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित कोई संस्था है ।
- ○ संघ के सशस्त्र बलों द्वारा, ऐसे बलों के पूर्व या वर्तमान सदस्यों या उनके आश्रितों के कल्याण के लिए स्थापित की गई कोई रेजिमेंटल निधि या गैर पब्लिक निधि है ।
- ○ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)----------

ग. प्रयोजन

1क. कृपया निम्नलिखित में से चयन करें (कम से कम एक) :

- ☐ गरीबों को अनुतोष
- ☐ शिक्षा
- ☐ योग
- ☐ चिकित्सा अनुतोष
- ☐ पर्यावरण संरक्षण (जिसके अंतर्गत जल विभाजक, वन और वन्य जीव भी है)
- ☐ कलात्मक या ऐतिहासिक हितों के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण
- ☐ साधारण लोक उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति

1ख. "साधारण लोक उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति" की दशा में, कृपया निम्नलिखित के बारे में बताएं:

(i) क्या इसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप चलाया जाना या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप अंतर्वलित है ? हां/ नहीं

(ii) क्या साधारण लोक उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य की ऐसी वास्तविक उन्नति के लिए कोई क्रियाकलाप किया गया है; और हां/ नहीं

(ii) ऐसे क्रियाकलाप से प्राप्तियों के ब्यौरे :

क्र. सं.	कुल प्राप्तियां	क्रियाकलाप से संकलित प्राप्तियां	कुल प्राप्तियों की प्रतिशतता	टिप्पण, यदि कोई हों

घ. न्यास की दशा में

1. न्यासकर्ता(न्यासकर्ताओं)/ संस्थापक(कों)/ स्थापक(कों) के ब्यौरे:

क्र.सं.	नाम	स्थायी खाता सं.	आधार नं. (यदि आबंटित किया गया हो)	पता

ङ. न्यास/ सोसाइटी/ कंपनी/अन्य संस्थाओं की दशा में

1. न्यासी(न्यासियों)/ शासी परिषद् के सदस्यों/ निदेशक(कों)/ पदाधिकारी(रियों)के ब्यौरे:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थायी खाता सं.	आधार नं. (यदि आबंटित किया गया हो)	पता

च. छूट/ अनुमोदन/ रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे

1.	कृपया सुसंगत उपबंध दें जिसके अधीन आवेदक की आय उसकी कुल आय में सम्मिलित किए जाने के लिए दायी नहीं होगी (उपयोगिता में ड्रापडाउन का उल्लेख करें)।	
2.	विधि या संस्था के अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण की प्रास्थिति : ○ धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदित ○ धारा **12**क/ **12**कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत ○ धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन के लिए आवेदित ○ धारा **12**क/ **12**कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदित	

2ख.

क्र.सं.	धारा	रजिस्ट्रीकरण/ आवेदन संख्या	रजिस्ट्रीकरण/ अनुमोदन/ आवेदन की तारीख

छ. कारबार के ब्यौरे

1.	क्या आवेदक को कोई ऐसी आय व्युत्पन्न हुई है जो कारबार का लाभ और अभिलाभ हो?	हां/नहीं
1क.	यदि हां, तो कृपया कारबार की प्रकृति बताएं।	
2.	क्या आवेदक ने ऐसे कारबार के संबंध में पृथक् लेखा-पुस्तिकों का अनुरक्षण किया है ?	हां/नहीं
3.	क्या ऐसे कारबार के प्रयोजनों के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्राप्त संदानों का उपयोग किया गया है ?	हां/नहीं
4.	क्या ऐसी लिखत में जिसके अधीन संस्था या निधि का गठन किया गया है या संस्था या निधि को शासित करने वाले नियमों में किसी समय संस्था या निधि की संपूर्ण निधि की आय या आस्तियों का पूर्ण रूप से या उसके किसी भाग का पूर्त प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए अंतरण या उपयोजन के लिए कोई उपबंध अंतर्विष्ट है?	हां/नहीं
5.	क्या संस्था या निधि ने किसी विशिष्ट धार्मिक समुदाय या जाति के फायदों को व्यक्त किया है ?	हां/नहीं
6.	क्या संस्था या निधि ने उसकी प्राप्तियों और व्यय के नियमित लेखाओं का अनुरक्षण किया है ?	हां/नहीं

ज. मांग के ब्यौरे

1.	क्या किसी निर्धारण वर्ष (वर्षों) के लिए बकाए की कोई मांग है?	हां/नहीं

1क. यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें :

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	मांग	मांग की प्रकृति	अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हों

झ. धार्मिक व्ययों के ब्यौरे

1.	क्या निधि या संस्था ने धार्मिक प्रकृति का कोई व्यय उपगत किया है?	हां/नहीं

1क. यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें :

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष	कुल आय	धार्मिक प्रकृति का व्यय	कुल आय की प्रतिशतता

ञ. प्रकीर्ण

1.	क्या न्यास विलेख में ऐसा खंड अंतर्विष्ट है कि न्यास अप्रतिसंहरणीय है?	हां/ नहीं/ लागू नहीं होता (न्यासियों से भिन्न आवेदकों की दशा में)

	2.	धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण, धारा 80छ के अधीन अनुमोदन के आवेदन की नामंजूरी /अनुमोदन के रद्दकरण के ब्यौरे :

क्र. सं.	धारा/ खंड/ उपखंड आदि (उपयोगिता में ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	अनुमोदन/रजिस्ट्रीकरण/ अनुमोदन के आवेदन की नामंजूरी/ अनुमोदन का रद्दकरण आदि (उपयोगिता में ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	आदेश सं.	आदेश की तारीख								आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी
				दि	दि	म	म	व	व	व	व	

मैं _____, पुत्र/ पुत्री _____, यह घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन में दिए गए ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं।

मैं, न्यास/सोसाइटी/अलाभकारी कंपनी के निबंधनों में या संस्था को शासित करने वाले नियमों में, इसके पश्चात् किसी समय पर किए गए किसी परिवर्तन को तत्काल संसूचित करने का वचन देता/देती हूं।

मैं, यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं यह आवेदन_____ (पदनाम) की अपनी हैसियत में दे रहा हूं/रही हूं और मैं यह आवेदन करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पदनाम _____

पता _____

संलग्नक :

1. निम्नलिखित की स्वप्रमाणित प्रति-

   (क) निधि या संस्था, जो आवेदक है, के सृजन या स्थापना का साक्ष्य देने वाली लिखत/दस्तावेज जैसे संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, न्यास विलेख, आवेदक और विद्यालय, चिकित्सालय आदि जैसी अन्य ऐसी संस्थाओं जिनका प्रबंध आवेदक द्वारा किया जाता है, को यथा लागू नियम/विनियम;

   (ख) कंपनी रजिस्ट्रार / फर्म रजिस्ट्रार / सोसाइटीज रजिस्ट्रार / लोक न्यास रजिस्ट्रार आदि, जो भी लागू हों, का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

   (ग) पूर्ववर्ती या प्रारंभ से तीन पूर्ववर्ष तक के, इनमें से जो भी कम हों, लेखे और तुलनपत्र (संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ संपरीक्षित लेखे और तुलनपत्र जहां सुसंगत विधि के अधीन संपरीक्षा अपेक्षित है) ; आवेदक के प्रयोजनों के मद्दे आय के विनियोग के प्रति विशेष निर्देश सहित ऐसे क्रियाकलापों पर टिप्पण के साथ, जो लेखाओं और वार्षिक रिपोर्टों में दर्शित किए गए हैं, यदि लागू हों ;

   (घ) धारा 10 के खंड (23ग) के, यथास्थिति, उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन अनुदत्त करने वाला आदेश, यदि कोई हों;

   (ङ) यथास्थिति, धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने वाला आदेश, यदि कोई हों ;

   (च) धारा 80छ के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने हेतु आवेदन को नामंजूर करने का आदेश, यदि कोई हों;

   (छ) धारा 80छ के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दरकरण का आदेश, यदि कोई हों ; और

   (ज) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन के लिए या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के, जो लागू हों, की दशा में, आवेदन

2. आवेदक के क्रियाकलापों पर टिप्पण।

3. कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) _____।";

(ii) 'प्ररूप सं. 56' के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्: —

"**प्ररूप सं**. 56

(**नियम 2ग देखिए**)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) और उपखंड (vi**क**) के अधीन छूट अनुदत्त करने के लिए आवेदन

क. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के ब्यौरे

स्थायी खाता सं.										निधि/ संस्था का नाम (आटो पापुलेटेड)
ए	बी	सी	डी	इ	1	2	3	4	एफ	

फ्लैट / डोर / ब्लाक सं.	परिसर/ भवन / गांव का नाम	सड़क / गली	डाकघर

क्षेत्र/ परिक्षेत्र	शहर/नगर/जिला	पिन कोड	राज्य(चयन करें)	देश(चयन करें)

कार्यालय का दूरभाष नं.एसटीडी कोड सहित**/** मोबाइल नं**. 1**	फैक्स नं. एसटीडी कोड सहित**/** मोबाइल नं**. 2**
ईमेल पता **1**	
ईमेल पता **2**	

ख. उपखंड जिसके अधीन आवेदन किया गया है/

कृपया सुसंगत उपखंड विनिर्दिष्ट करें- (किसी एक का चयन करें)

- ○ धारा 10 का खंड (23ग) का उपखंड (iv) (निधि या संस्था)
- ○ धारा 10 का खंड (23ग) का उपखंड (v) (न्यास जिसके अंतर्गत कोई दायित्व भी है या संस्था)
- ○ धारा 10 का खंड (23ग) का उपखंड (vi) (विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था)
- ○ धारा 10 का खंड (23ग) का उपखंड (vi**क**) (चिकित्सालय या अन्य संस्था**)**

ग. विधिक प्रास्थिति

कृपया विनिर्दिष्ट करें कि निधि/ संस्था (किसी एक का चयन करें)

- ○ _____के अधीन लोकन्यास के रूप में गठित **(**कृपया अधिनियम का नाम विनिर्दिष्ट करें जिसके अधीन लोकन्यास के रूप में गठित किया गया है**)**
- ○ सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन या भारत के किसी भाग में प्रवृत्त उक्त अधिनियम के तत्स्थानी किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है----------(कृपया विधि का नाम विनिर्दिष्ट है, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकृत है)
- ○ कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 8 के अधीन या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन रजिस्ट्रीकृत है
- ○ अन्य **(**कृपया विनिर्दिष्ट करें**)** _____

घ. प्रयोजन

1. प्रयोजन (उस उपखंड पर जिसके अधीन आवेदन किया गया है निर्भर रहते हुए उपखंड(v) के सिवाय निम्नलिखित का स्व-चयन करें)]:
   - ○ पूर्त प्रयोजन [उपखंड (iv)]
   - ○ पूर्णतः लोक धार्मिक प्रयोजनों के लिए [उपखंड (v)]
   - ○ पूर्णतः लोक धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए [उपखंड (v)]
   - ○ शैक्षिक प्रयोजन [उपखंड (vi)]
   - ○ परोपकारी प्रयोजन [उपखंड (vi**क**)]

1क. पूर्त या पूर्णतः लोक धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों की दशा में, कृपया निम्नलिखित का चयन करें(कम से कम एक):

- ☐ गरीबों को अनुतोष
- ☐ शिक्षा
- ☐ योग
- ☐ चिकित्सा अनुतोष
- ☐ पर्यावरण संरक्षण (जिसके अंतर्गत जल विभाजक, वन और वन्य जीव भी हैं)
- ☐ कलात्मक या ऐतिहासिक हितों के स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण
- ☐ साधारण लोक उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति

	1ख.	"साधारण लोक उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य की उन्नति" की दशा में कृपया निम्नलिखित के बारे में बताएं : (i) क्या इसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप चलाया जाना या किसी व्यापार वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप अंतर्वलित है ? — हां/ नहीं (ii) क्या साधारण लोक उपयोगी किसी अन्य उद्देश्य की ऐसी वास्तविक उन्नति के लिए कोई क्रियाकलाप किया गया है ; और — हां/ नहीं (ii) ऐसे क्रियाकलाप से प्राप्तियों के ब्यौरे :

क्र. सं.	कुल प्राप्तियां	क्रियाकलाप से संकलित प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां की प्रतिशतता	टिप्पण, यदि कोई हों

ङ. न्यास की दशा में

1. न्यासकर्ता(ओं)/ संस्थापक (कों)/ स्थापक(कों) के ब्यौरे:

क्र.सं.	नाम	स्थायी खाता सं.	आधार नं. (यदि आबंटित किया गया हो)	पता

च. न्यास/सोसाइटी/कंपनी/अन्य संस्थाओं की दशा में

1. न्यासी (यों)/ शासी परिषद् के सदस्यों/ निदेशक (कों)/ पदाधिकारी(रियों)के ब्यौरे :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स्थायी खाता सं.	आधार नं. (यदि आबंटित किया गया हो)	पता

छ. कार्यालय आदि के ब्यौरे

1. कृपया प्रधान कार्यालय, शाखाओं आदि के ब्यौरे दें:

क्र. सं.	स्थान	प्रधान कार्यालय/ शाखा आदि	पता	शहर	राज्य	पिन	भारसाधक व्यक्ति		
							नाम	संपर्क नं.	ईमेल-आईडी

ज. क्रियाकलापों के ब्यौरे

1. क्रियाकलापों के ब्यौरे :

क्र. सं.	पता	प्रकृति (स्थल/ परियोजना आदि)	शहर	राज्य	पिन	भारसाधक व्यक्ति			क्रियाकलाप की प्रकृति
						नाम	संपर्क नं.	ईमेल-आईडी	

झ. कारबार के ब्यौरे

1.	क्या आवेदक कोई कारबार चला रहा है?	हां/नहीं
2.	यदि हां तो कृपया कारबार के ब्यौरे/प्रकृति बताएं।	
3.	क्या कारबार आवेदक के प्रयोजनों के अनुषंगिक है?	हां/नहीं

ञ. मांग के ब्यौरे

4.	क्या किसी निर्धारण वर्ष(वर्षों) के लिए बकाए की कोई मांग है?	हां/नहीं

5. यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें:

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	मांग	मांग की प्रकृति	अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हों

ट. आय और अभिदायों के ब्यौरे

1. उस पूर्ववर्ष की आय के ब्यौरे जिससे छूट के लिए अनुमोदन अनुदत्त करने की ईप्सा की गई है#:

क्र. सं.	वि.व.	कुल आय							संचित रकम	धारा 115खखग के अधीन संदान की रकम (यदि कोई हो)
		स्वैच्छिक अभिदाय			अन्य			योग		
		नकद	वस्तु के रूप में	योग	नकद	वस्तु के रूप में	योग			

ठ. विनिधान के ब्यौरे

1. धारा 11 की उपधारा (5) के अधीन विनिर्दिष्ट ढंग#:

क्र.सं.	ढंग	विनिधान के ब्यौरे	विनिधान की रकम	विनिधान से आय

2. कोई अन्य ढंग#:

क्र.सं	ढंग	विनिधान के ब्यौरे	विनिधान की रकम	विनिधान से आय

ड. प्रकीर्ण

1. क्या न्यास विलेख में ऐसा खंड अंतर्विष्ट है कि न्यास अप्रतिसंहरणीय है? **हां/नहीं**

2. धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन/अनुमोदन का रद्दकरण/अनुमोदन के आवेदन की नामंजूरी, धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण/रजिस्ट्रीकरण का रद्दकरण/रजिस्ट्रीकरण के आवेदन की नामंजूरी, धारा 80छ के अधीन अनुमोदन के ब्यौरे:

क्र. सं.	धारा/ खंड/ उपखंड आदि (उपयोगिता में ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	अनुमोदन/रजिस्ट्री-करण/रद्दकरण/अनुमोद न या रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन/अनुमोदन या रजिस्ट्रीकरण आदि के लिए आवेदन की नामंजूरी (उपयोगिता में ड्रापडाउन का उल्लेख करें)	आदेश सं.	आदेश की तारीख								आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी
				दि	दि	म	म	व	व	व	व	

3. **क्या आवेदक विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन रजिस्ट्रिकृत है?** **हां/नहीं**

3क. यदि हां तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरे दें:

(i) रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे:

रजिस्ट्रीकरण संख्या	रजिस्ट्रीकरण की तारीख							

(ii) पूर्ववर्ष सहित अंतिम तीन वित्तीय वर्षों में प्राप्त रकम के ब्यौरे (यदि पूर्ववर्ष के अंत के पश्चात् आवेदन किया है) जिसके लिए आवेदन किया गया है:

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	देश	करेंसी	रकम(विदेशी करेंसी में	रकम (रुपए में)

यदि आवेदन उस पूर्ववर्ष की, जिससे अनुमादेन की ईप्सा की गई है, समाप्ति से पहले किया गया है तो उस मास की, जिसमें आवेदन किया गया है पूर्ववर्ती अंतिम तारीख को उस पूर्ववर्ष के भाग के ब्यौरे दें.

मैं _____, पुत्र/ पुत्री _____, यह घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन में दिए गए ब्यौरे मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही हैं।

मैं, न्यास/सोसाइटी/अलाभकारी कंपनी के निबंधनों में या संस्था को शासित करने वाले नियमों में, इसके पश्चात् किसी समय पर किए गए किसी परिवर्तन को तत्काल संसूचित करने का वचन देता/देती हूं।

मैं, यह और घोषणा करता/करती हूं कि मैं यह आवेदन_____ (पदनाम) की अपनी हैसियत में दे रहा हूं/रही हूं और मैं यह आवेदन करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

मैं, यह घोषणा करता/करती हूं कि आवेदक, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकख) या उपखंड (iiiकघ) में उल्लिखित विश्वविद्यलयों या शैक्षिक संस्थाओं से भिन्न अन्य विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थाएं हैं, केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विद्यमान हैं न कि लाभ के प्रयोजनों के लिए।*

मैं, यह घोषणा करता/करती हूं कि आवेदक, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iiiकग) या उपखंड (iiiकड़) में उल्लिखित चिकित्सालय या अन्य संस्था से भिन्न चिकित्सालय या अन्य संस्था है, रुगणता या मानसिक दोष से ग्रस्त व्यक्तियों के स्वागत और उपचार या स्वास्थ्य लाभ के दौरान या चिकित्सा की दृष्टि से ध्यान देने योग्य या पुनर्वासन की अपेक्षा करने वाले व्यक्तियों के स्वागत और उपचार के लिए है न कि लाभ के प्रयोजन के लिए।•

•ऐसे उपखंड जिसके अधीन आवेदन किया गया है, स्वत: उपलब्ध कराएं।

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

पदनाम _____

पता _____

संलग्नक :

2. निम्नलिखित की स्वप्रमाणित प्रति-

(क) निधि या संस्था, न्यास, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्थाओं, चिकित्सालय या अन्य संस्थाओं, जो आवेदक है, के सृजन या स्थापना का साक्ष्य देने वाली लिखत/दस्तावेज जैसे संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, न्यास विलेख, आवेदक और विद्यालय, चिकित्सालय आदि जैसी अन्य ऐसी संस्थाओं जिनका प्रबंध आवेदक द्वारा किया जाता है, को यथा लागू नियम/विनियम;

(ख) कंपनी रजिस्ट्रार / फर्म रजिस्ट्रार / सोसाइटीज रजिस्ट्रार / लोक न्यास रजिस्ट्रार आदि, जो भी लागू हों, का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र;

(ग) पूर्ववर्ती या प्रारंभ से तीन पूर्ववर्ष तक के, इनमें से जो भी कम हों, लेखे और तुलनपत्र (संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ संपरीक्षित लेखे और तुलनपत्र जहां सुसंगत विधि के अधीन संपरीक्षा अपेक्षित है) ; आवेदक के प्रयोजनों के मद्दे आय के विनियोग के प्रति विशेष निर्देश सहित ऐसे क्रियाकलापों पर टिप्पण के साथ, जो लेखाओं और वार्षिक रिपोर्टों में दर्शित किए गए हैं, यदि लागू हों ;

(घ) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुदत्त अनुमोदन यदि कोई हों;

(ङ) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुदत्त अनुमोदन के रद्दकरण का आदेश, यदि कोई हो;

(च) धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन अनुदत्त करने हेतु पहले किए गए आवेदन को नामंजूर किए जाने वाला आदेश, यदि कोई हो;

(छ) यथास्थिति, धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने वाला आदेश, यदि कोई हों ;

(ज) धारा 12क या धारा 12कक के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का आदेश, यदि कोई हो;

(झ) धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने हेतु आवेदन का नामंजूर करने का आदेश, यदि कोई हो ; और

(ञ) जहां आवेदक को धारा 80छ के अधीन अनुमोदन अनुदत्त किया गया है वहां धारा 80छ के अधीन अनुमोदन प्राप्त करने वाले आदेश की स्वप्रमाणित प्रति; और

(ट) यदि धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए या धारा 80छ के अधीन अनुमोदन के लिए, जो भी लागू हो, आवेदन किया गया है तो वह आवेदन।

2. आवेदक के क्रियाकलापों पर टिप्पण ।

3. कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) _____।";

(iii) प्ररूप सं. 56घ का लोप किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 60/2019/ फा.सं. 370142/14/2018-टीपीएल]

नीरज कुमार, उप सचिव (कर नीति और विधायन प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ.संख्यांक 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 614(अ) तारीख 30 अगस्त 2019 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।